an>

Title: Need to set up District Disaster Mitigation Fund and District Disaster Response Fund in the States and provide 75% of the total fund as share from Central Government on the lines of State Disaster Response Fund.

*mo1

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) ः तेरहवें वित्त आयोग द्वारा जिला स्तर पर चार तरह की निधियॉं गठित करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 48 में भी राज्य आपदा प्रतिसाद निधि तथा जिला आपदा प्रतिसाद निधि और राज्य आपदा शमन निधि तथा जिला आपदा शमन निधि का गठन किए जाने का प्रावधान है।

केंद्र सरकार द्वारा राÂट्रीय स्तर पर राÂट्रीय आपदा प्रतिसाद निधि तथा राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रतिसाद निधि का गठन किया गया है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पालना में राज्य आपदा शमन निधि तथा जिला आपदा शमन निधि का गठन किया जाना अभी तक शेÂा है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे इस विÂाय में न केवल राज्य व जिला स्तर पर उपरोक्त निधियों का गठन करें बल्कि इन निधियों में राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एस.डी.आर.एफ.) की तरह 75 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार का निश्चित किया जाए।